रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-131/2021/1359/22-2-2021-17(819)2019

लखनऊ: दिनांक: 04 अगस्त, 2021

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) संख्या-9336/2017 के अन्तर्गत मिसलेनियस एप्लीकेशन संख्या-1757/2020 शिव किशोर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.01.2021 एवं दिनांक 24.03.2021 से आच्छादित प्रकरण केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बृहम किशोर उर्फ लडैती (बन्दी संख्या-19505) पुत्र श्री सुशील कुमार, निवासी-अलैइया, थाना-राजा का रामपुर (वर्तमान पटियाली), जनपद-एटा (वर्तमान जनपद-कासगंज), जिन्हे सत्र परीक्षण संख्या-227/1999 भा0द0सं0 की धारा-302/149, 148 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-1, एटा के आदेश दिनांक 25.11.2005 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.08.2017 द्वारा यथावत रखा गया, बन्दी द्वारा दिनांक 06.04.2021 तक 16 वर्ष 02 माह 06 दिन अपरिहार तथा 21 वर्ष 03 माह, 20 दिन सपरिहार काटी गयी सजावधि, अच्छे जेल आचरण तथा सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा समयपूर्व रिहाई पर कोई आपत्ति नहीं किये जाने के आधार पर सलाहकार समिति द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उसकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी को जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-131/2021/1359(1)/22-2-2021 तद्दिनांक ..

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- सहायक निबन्धक (SEC-II), मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
3- जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज।
4- पुलिस अधीक्षक, कासगंज ।
5- श्री शशांक शेखर सिंह, एडवोकेट आन रिकार्ड, मा0 सर्वोच्च न्यायालय, पता- चैम्बर नं0-112, एमसी शीतलवाड लायर्स चैम्बर, मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
6- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in